तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.3.17	वकील पक्ष उप. / Alc तन्कीह हेतु समय चाहा समय दिया जाकर दि 08.5.17 को पेश हो।
	लोक अदालत कैम्प - नाडोल (न्याय आपके द्वार अभियान, 2017)
	1-6-2017
	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी कावजूद सूचना पत्र तामील होने के अनुपस्थित है। अतः प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड एवं गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते हैं।
	वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा नाडोल चक II के ख0नं0 4719, 4720, 4727, 4630 कुल किता 4 रकबा 2-52 हेक्टर किस्म बारानी II जो राजकीय रिकार्ड चक

उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

Contd - ②

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
Page (2)	

भूमि दर्ज है, पर वादी का कब्जा संवत् 2040 से निरन्तर होने से पश्चावर्ती कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष एवं स्थाई आज्ञप्ति का अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से अधिकारी तहसीलदार देवली ने जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा संवत् 2052 एवं 2058 से ही है। पश्चावर्ती कब्जा के आधार पर धारा 88 R.T. Act के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते हैं। अतः वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया गया।

उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि मौजा नाडोल II के ख० नं० 4720, 4630 पर वादी का कब्जा अतिक्रमण ख०प० शील 2051, 52 में दर्ज है तथा ख० नं० 4630 पर संवत् 2053, 2054, 2055

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मे अतिक्रमण दर्ज है तथा ख०नं० 4630, 4720 पर संवत् 2056 एवं ख०नं० 4719, 4720, 4630 पर संवत् 2057 में तथा ख०नं० 4719, 4720, 4627, 4630 पर संवत् 2058 से 2063 मे अतिक्रमण दर्ज है। उस प्रकार वादी का कथन कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा संवत् 2040 से निरन्तर चला है, मिथ्या कथन कथित है। धारा 88 R.T. Act के अन्तर्गत खातेदारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय अभिलेख खातेदार के रूप मे दर्ज होने पर ही अधिकारों की घोषणा संभव है। R.R.D. 1986 Page-86, कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नही की जा सकती है। RRD 1996 Page 389, RRD-1997 Page-90, 256 मे उदाहरणों के अवलोकन से उक्त तथ्य की पुष्टि स्पष्ट: होती है। इसके अतिरिक्त यह भी जाहिर है कि वादी का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2012 से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने
उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज Page - 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
के वक्त से प्रमाणित नही है एवं वादी स्वयं ने अपने वादपत्र में कब्जा संवत 2040 से होना अंकित किया है। इसी स्थिति में वादी को कब्जे करने के आधार पर खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अनाधिकृत कब्जे के आधार पर खातेदारी हक की घोषणा नही की जा सकती है, RRD-2004 Page 110 से भी यह तथ्य प्रमाणित है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी नियमो के परिप्रेक्ष्य में वादी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। निर्णय दिनांक 1-6-2017 को सुनाया गया। (राजेश मेनाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	